अनुलग्नक-3

IN THE COURT OF LAND REFORM DEPUTY COLLECTOR SIMDEGA

SCHEDULE

Permission has been granted to sri ------- अनुनय लकड़ा -------

S/O, W/O D/O स्व० ज्योरिक लकड़ा Village सिमडेगा थोथोटोली

P.S सिमडेगा District Simdega to transfer the following l

Sri सुनीता एक्का S/O,W/O D/O दीनातुस खलखो

Village खिजरी सामटोली P.S सिमडेगा

District Simdega by the L.R.D.C. Simdega in his order dated 5/9/20

in Rev,C.N.T.case No 296 of 2018-19

U/S 46 C.N.T. Act,

Village	Thana No.	Khata No.	plot No	Area(in acres)	Value fo
गोतरा	सिमडेगा 80	111	4916	1.65 एकड़ से 0.12 एकड़	मो० 562020=00 रु (कुल पाँच लाख बासठ हजार बीस रुपये मात्र)

चौहद्दी

उ० - इसी प्लॉट का अंश नीज विक्रेता

द० - इसी प्लॉट का अंश नीज विक्रेता

पू० - कुलेश गोप का मकान

प० - 10' का पी० सी० सी० सड़क

Sd....... ह०/-

L.R.D.C.Simc

Memo No. 443 (11) /Rev. Dated (Simdega the 5/9/20 20

Copy forwarded to the Sub Registrar, Simdega and Sri अनुनय लकड़ा पिता स्व० ज्योरिक लकड़ा

Village सिमडेगा थोथोटोली P.S सिमडेगा District Simdeg

For information and needful

L.R.D.C. Simdega
भूमि सुधार सिमडेगा

Anunay Lakra
26.09.2020

Sunita xalxo

अनुलग्नक-4

न्यायालय भूमि सुधार, उप समाहर्त्ता, सिमडेगा
अनुमति वाद सं0 296/18-19

अनुनय लकड़ा............ आवेदक

बनाम

झारखण्ड सरकार.................... विपक्षी

आदेश

5/9/20 आवेदक श्री अनुनय लकड़ा पिता स्व0 एरिक लकड़ा, ग्राम-सिमडेगा घोचोटोली थाना-सिमडेगा, जिला-सिमडेगा ने निम्नांकित भूमि को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत बिक्री हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र दायर किये हैं।

भूमि विवरणः-

मौजा	थाना	थाना न0	खाता न0	प्लॉट न0	रकबा
गोतरा	सिमडेगा	80	111	4916	1.65 ए0 में से 0.12 ए0

कुल रकबा (शब्दों में) बारह डिसमील मात्र।

आवेदक अपने खतियानी जमीन को मकान बनवाने के लिये प्रस्तावित केता-सुनीता खलखो पिता दोनातुस खलखो, ग्राम खिजरी सामटोली थाना सिमडेगा, जिला सिमडेगा (जाति उरॉव) को बिक्री कर रहे हैं। आम सूचना निर्गत की गई। आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न है। किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है।

अंचल अधिकारी सिमडेगा के पत्रांक 38 दिनांक 17.7.19 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन एवं आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। प्रस्तावित भूमि आवेदक की खतियानी भूमि है। प्रस्तावित भूमि के खतियानी रैयत पौलुस उरॉव वो छोटका जुसफ उरॉव पे0 मंगला उरॉव वो फिलमोन वो शीमोन पे0 मनमशी उरॉव वो कुमार उरॉव वो आएजुब उरॉव वो जुशफ उरॉव बड़का पे0 मशीप्रकाश उरॉव हैं। खाता नं0 111 के वर्तमान जमाबंदीदार मसीह प्रकाश उरॉव वगै0 पे0 पौलुस उरॉव हैं। मालगुजारी आवेदक एवं अन्य हिस्सेदार द्वारा दिया जाता है। बिकेता एवं केता दोनों अनुसूचित जनजाति उरॉव जाति के सदस्य हैं तथा एक ही थाना क्षेत्र के निवासी हैं। प्रस्तावित भूमि की बिक्री के पश्चात आवेदक के पास 2.71½ ए0 भूमि शेष बचता है।

भूमि स्वामित्व से संबधित कागजात में खतियान ,लगान रसीद एवं जाति प्रमाण पत्र सं0 जे0एच0सी0एस0टी0/2020/77086 दिनांक 23.7.2020 की छाया प्रति प्रस्तुत है जो अभिलेख में संलग्न है। केत्ता की ओर से स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं0 जे0एच0आर0सी0/2018/687710 दिनांक 03.08.2018 एवं जाति प्रमाण पत्र सं0 जे0एच0सी0एस0टी0 /2020/18418 दिनांक 03. 07.2020 की छाया प्रति तथा जमीन का चौहदी प्रस्तुत किया है, जो अभिलेख में संलग्न है।

आवेदक ने अपने बयान में कहा है कि मैं मौजा- गोतरा थाना न0-80 थाना-सिमडेगा के अन्तर्गत खाता नं0-111 प्लॉट संख्या-4916 रकबा 1.65 ए0 में से 0.12 एकड़ जमीन को मकान बनवाने के लिये केता- सुनीता खलखो पिता दोनातुस खलखो ग्राम खिजरी सामटोली, थाना-सिमडेगा, जिला-सिमडेगा को मो0 562020.00 रू0 (पांच लाख बारसठ हजार बीस रूपये) मात्र में अपने राजी -खुशी से बिक्री कर रहा हूँ। यह मेरी खतियानी भूमि है। उक्त जमीन बिक्री करने के बाद मेरे पास 2.71½ ए0 जमीन शेष बचता है। बिकेत्ता एवं केत्ता दोनो अनुसूचित जनजाति उरॉव जाति के सदस्य हैं तथा एक ही थाना क्षेत्र के निवासी हैं।

Sunita xalxo

Anunay Lakra

अंचल अधिकारी, सिमडेगा के जाँच प्रतिवेदन एवं आवेदक के बयान के आधार पर मौजा– गोतरा थाना न0–80 थाना–सिमडेगा के अन्तर्गत खाता न0–111 प्लॉट संख्या–4916 रकबा– 1.65 ए0 में से 0.12 ए0 जमीन आवेदक श्री अनुनय लकड़ा पिता स्व0 एरिक लकड़ा, ग्राम सिमडेगा धोबीटोली, थाना सिमडेगा, जिला सिमडेगा द्वारा क्रेता सुनीता खलखो पिता दोनातुस खलखो, ग्राम खिजरी सामटोली, थाना–सिमडेगा जिला–सिमडेगा को स्थानीय बाजार दर के अनुसार छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत भूमि बिक्री करने की ......अनुमति......दी जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

5/9/2020

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
सिमडेगा ।

5/9/2020

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
सिमडेगा।

पुनश्चः तालिका तीन प्रतियों में तैयार करें। मूल प्रति आवेदक को तथा एक प्रति जिला निबंधन पदाधिकारी सिमडेगा को भेजें।

5/9/2020

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
सिमडेगा।

[redacted]

11-9-20

[redacted] P — 05
[redacted] — 00
[redacted] — 08
[redacted]
योग — 13 = (तेरह रुपये मात्र)

12/9/2020

प्रधान लिपिक

अनुलग्नक - 5

कार्यालय, अंचल अधिकारी .... सिमडेगा

पत्रांक ...... 38 ......

दिनांक ...... 17.7.19 ......

सेवा में,

अनुमंडल पदाधिकारी, सिमडेगा/भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सिमडेगा ।

विषय :- छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम धारा 46 के अन्तर्गत जमीन हस्तान्तरण की अनुमति के संबंध में जाँच प्रतिवेदन ।

प्रसंग : अनुमति वाद संख्या 296 सन् 2018-19

(कोर्ट फी स्टाम्प: एक रुपया ONE RUPEE)

1. विक्रेता के संबंध में प्रपत्र

1) क- आवेदक (हस्तान्तरणकर्त्ता) का नाम पिता का नाम/पूरा पता : अनुनय लकड़ा पिता स्व॰ एरिक लकड़ा, ग्राम - सिमडेगा खोंचो टोली थाना सह जिला - सिमडेगा
   ख- जाति : उराँव

2) खतियानी रैयतों का नाम एवं आवेदक के साथ संबंध : ख॰ रै॰ :- पौलुस उराँव वो छोटका जुसफ उराँव पे॰ मंगला उराँव वो फिलमो वो शीमोन पे॰ मनमसी उराँव वो कुमार उराँव वो आसनुस उराँव वो जुसफ उराँव बड़का पे॰ मसीपरकाश उराँव कौम उराँव

3) जमीनदारी विलियन के पश्चात् उक्त जमीन की जमाबंदी संख्या तथा जमाबंदी दार का नाम : (177 I) खाता सं॰ 111 रकबा 2.83½ ए॰ मसीह प्रकाश उराँव वगै॰ पि॰ पौलुस उराँव

4) वर्त्तमान जमाबन्दी संख्या/ जमाबन्दी दार का नाम : — तदैव -

5) वर्त्तमान जमाबन्दी को किस प्रकार भूमि हासिल हुआ : पंजी II रैयत स्वयं ख॰ रै॰ है।

6) जमीन की मालगुजारी देने वाले रैयत का नाम : आवेदक एवं अन्य हिस्सेदार

7) आवेदक तथा उक्त रैयत का सम्बन्ध : स्वयं

8) उक्त जमीन के कितने हिस्सेदार हैं तथा आवेदक का उक्त जमीन में वास्तविक हिस्सा स्वामित्व एवं दखल कब्जा : वंशावली (सम्मिलित खाता)

वंशावली

मंगल उराँव + मनमसी उराँव + जुसफ उराँव बड़ा

→ कुँवर उराँव (ख॰ रै॰), आसनुस उराँव (ख॰ रै॰)

→ मुकुट, बिरसन

→ एरिक, एडविन, सोलोमन, बिश्वास

→ अनुनय लकड़ा (आवेदक)

9) क्या आवेदक बड़े भू-धारी के अथवा बड़े भूधारी के वंशज हैं, जिनके विरूद्ध लैण्ड शिलिंग का केश है : x

10) क - क्या उक्त जमीन भूदान की है : x
    ख- लैण्ड सिलिंग के किसी वाद में सम्मिलित है : x

11) जमीन बेचने का आवश्यकता एवं औचित्य : मकान बनवाने के लिए

12) जमीन का किस्म एवं ब्यौरा :

ग्राम/थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा	किस्म
गोठरा 80	111	4916	1.65 ए॰ में से 0.12 ए॰	आवासीय

13) जमीन का मूल्य जो अगल-बगल की उक्त किस्म जमीन बिक्री के अनुसार हो : 46835.00/- प्रति डि॰

14) जमीन का वर्त्तमान मुल्य : 562020.00/-

15) बिक्रेता के हिस्से की कुल उपलब्ध भूमि : 2.83½ ए॰

16) बिक्री के बाद शेष भूमि : 2.71½ ए॰

(हस्ताक्षर/मुहर) 17-7-19

Sunita xalxo

Anunay Lakra
26.09.2020

1 रु. कोर्ट फी COURT FEE Re.1 INDIA ONE RUPEE

2. क्रेता के सम्बन्ध में

1) क- क्रेता का नाम/पिता का नाम घर का पूरा पता : सुनीता खलखो पिता - दोनातुस खलखो ग्राम - खिजरी सामटोली थाना सह जिला - सिमडेगा

ख- जाति : उराँव।

2) क्या क्रेता उसी ग्राम के निवासी हैं ? : विक्रेता एवं क्रेतिका दोनों एक थाना के निवासी हैं।

3) जमीन खरीदने का कारण/आवश्यकता : गृह निर्माण हेतु।

4) क्या उसके पिता या दादों के नाम से लैण्ड सिलिंग का वाद चला है : X

5) उसके पास तथा उनके परिवार के सभी सदस्यों के पास कुल जमीन कितनी है : —

6) यदि कोई शैक्षणिक या अन्य संस्था है तो उसका ब्यौरा : X

7) उक्त शैक्षणिक संस्था या अन्य संस्था का अतिरिक्त जमीन क्रय करने की आवश्यकता/उद्देश्य औचित्य : X

8) उक्त शैक्षणिक या अन्य संस्था के कुल धारित जमीन की रकबा ब्यौरा : X

9) जिला शिक्षा पदाधिकारी की अनुशंसा की शैक्षणिक संस्था के पास कुल कितनी जमीन है और अतिरिक्त कितनी जमीन उद्देश्य हेतु आवश्यकता है : X

10) अभ्युक्ति :

Co. Sim

हल्का कर्म० के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर CNT Act के Sec 46(a) के अन्तर्गत विधिमान्य हो तो अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती है। [signature]

महाशय

विक्रेता एवं क्रेतिका दोनों एक थाना के निवासी हैं तथा अ.ज.जा. की श्रेणी में आते हैं। विक्रेता अपने हिस्से एवं दखल कब्जे की भूमि की बिक्री हेतु आवेदन कर रहा है बिक्री के पश्चात 2.71 ए. भूमि शेष बचती है। अनुमति हेतु अनुशंसा की जा सकती है। प्रतिवेदन अग्रसारित।

[signature]
H.K.LV

अंचल अधिकारी
अंचलाधिकारी
....

V.O.S.
[signature]
LRDC
Simdega

अनुलग्नक-18

न्यायालय, श्रीमान् अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा।

सी॰एन॰टी॰केस नं॰ 276/2018-19

अनुनय लकड़ा.........आवेदक

बनाम

सुनीता खलखो...........प्रस्तावित खरीददार

महाशय,

नम्र निवेदन है कि अनुनय लकड़ा मेरा पोता है उसने मौजा-गोतरा, थाना-सिमडेगा, खाता नं॰ 111, प्लाट नं॰ 4916, रकबा 1॰65 एकड़ में से 0॰12 एकड़ जमीन को बिक्री करने का आवेदन श्रीमान् के न्यायालय में दिया है जो सम्मिलित जमीन है। चूंकि उक्त जमीन का हमलोग आपस में सहमति से समझौता कर लिये हैं। मैंने उक्त जमीन को बिक्री करने में आपत्ति दायर की थी। लेकिन अब आपस में समझौता हो गया है तथा समझौता के अनुसार प्रस्तावित जमीन अनुनय लकड़ा के हिस्से की है।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि अब अनुनय लकड़ा को बिक्री करने की अनुमति दिये जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

Sunita xalxo

Identified by me - कोईला लकड़ा

1. 7. 2020

Adv.

1/07/2020

13-10-20

अनुलग्नक - 19

आदेश की संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
22-7-20	अभिलेख उपस्थापित। कोई पैरवी नहीं पड़ी। अभिलेख दिनांक 21-8-20 को रखें। [signature] LRDC
21-8-20	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक की ओर से हाजिरी पड़ी। आवेदक न्यायालय में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराया जिसका सत्यापन उनके अधिवक्ता द्वारा किया गया। अंचल अधिकारी, सिमडेगा से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं आवेदक के द्वारा दिये गए बयान के आलोक में प्रस्तावित भूमि की बिक्री की अनुमति दी जाती है। [signature] भूमि सुधार उप समाहर्ता सिमडेगा।
[illegible] 13-10-20	Sunita Xalxo

Checked & received Ajay Kumar Advo 10.09.2020

27-9-18 / 3-7-20

अभिलेख अपरिहार्य कारणों से आज उपस्थापित किया। अंचल अधिकारी सिमडेगा के पत्रांक 38 दिनांक 17-7-19 द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।

श्रीमति कोर्दुला लकड़ा ग्राम खोंचोटोली थाना सिमडेगा जिला सिमडेगा द्वारा जमीन बिक्री पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र दिया गया था।

आपत्तिकर्ता कोर्दुला लकड़ा द्वारा आवेदक श्री अनुनय लकड़ा को भूमि बिक्री की अनुमति दिये जाने हेतु दिनांक 1-7-2020 को अनापत्ति पत्र समर्पित किया गया है। आपत्तिकर्ता का कहना है कि इनके बीच आपसी समझौता हो गया है बिक्री की जाने वाली भूमि आवेदक के हिस्से की है। अत: जमीन बिक्री की अनुमति दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

अनापत्ति आवेदन पत्र स्वीकृत किया जाता है।

आवेदक का बयान हेतु अभिलेख दिनांक 22-7-20 को उपस्थापित करें।

3/7/2020

LRDC

अनुलग्नक-20

सेवा में,

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता ,सिमडेगा

विषयः—मौजा गोतरा के खाता नं.111 प्लॉट 4916 की जमीन की बिक्री पर रोक लगाने के संबंध में।

महाशय,

उपराक्त संबंध में श्रीमान महोदय से प्रार्थना है कि मैं कोरदुला लकड़ा, पति— स्व. बिराज लकड़ा ,ग्राम— घोचोटोली, थाना वो जिला— सिमडेगा की निवासी हूँ। मौजा गोतरा खाता नं. 111 के खतियानी रैयत की वंशज की हूँ। हमारी वंशावली निम्न हैः—

पौलुस उराँव
↓
मसीह प्रकाश उरांव
↓
- कुमार उरांव
- ऐजूब उरांव
  - मुकुट लकड़ा (मृत) → मुदित लकड़ा(पत्नी)
    - एरिक लकड़ा
    - एडविन लकड़ा
    - शाकेम लकड़ा
    - बिश्वास लकड़ा
    - ममता लकड़ा
  - बिराज लकड़ा(मृत) → कोरदुला लकड़ा आवेदिका(पत्नी)
- जुसफ उरांव मृत (नावल्द)

मौजा — गोतरा खाता नं. 111 के खतियानी जमीन का वर्त्तमान जमाबन्दी— मसीहप्रकाश उरांव के नाम से कायम है, एवं अबतक जमीन का बटवारा नहीं हुआ है, किन्तु कुछ दबंग किस्म के सदस्य मनमनी रुप से जमीन का बिक्रय कर रजिस्ट्री करवा रहे हैं, जिसपर बाकी शेष सदस्यों को कोई जानकारी नहीं है, न सहमति लिया गया है। विश्वास लकड़ा, उक्त खाता नं. 111 एवं प्लॉट 4916 बेच रहा है वह जमीन हमारी समिलत जमीन है बटवारा नहीं हुआ ।

13-10-20

Sunita xalxo

अनुलग्नक - 20

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि मौजा गोतरा के खाता नं. 111 की सम्पूर्ण जमीन का बिकय कार्य पर अविलम्ब रोक लगाया जाय।

आपका विश्वासी
कोर्दुला लकड़ा
नाम– कोरदुला लकड़ा
ग्राम– घोचोटोली
थाना वो जिला – सिमडेगा
दिनांक 3.6.2019

प्रतिलिपि :–

1. भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,सिमडेगा / जिला अवर निबंधन पदाधिकारी, सिमडेगा
2. अंचल अधिकारी, सिमडेगा

P — 05
A — 00
A/A — 10
जोड़ — 15/
(पन्द्रह रुपये मात्र)

प्रधान लिपिक।

Sunita Xalxo